रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1294] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 24, 2007/कार्तिक 2, 1929
No. 1294] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 24, 2007/KARTIKA 2, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2007

सं. 43 (आरई-2007)/2004—2009

का.आ. 1812(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2004—2009, के पैरा 1.3 और 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यथा संशोधित अधिसूचना सं. 38 (आरई-2007)/2004—2009 दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 (गैर बासमती चावल के निर्यात पर निषिद्ध से संबंधित) के पैरा 2 के अंत में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित अतिरिक्त संवर्धन करती है :—

"2.2 तथापि, निर्यात के लिए 10-10-2007 तक पत्तन गोदाम में लाए गए चावल को पत्तन प्राधिकारियों द्वारा यथा प्रमाणित; निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी।"

2. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/180/846/एएम-08/पी सी-3]

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2007

No. 43(RE-2007)/2004—2009

S.O. 1812 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 and Para 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following further addition with immediate effect at the end of Paragraph 2 of Notification No. 38 (RE-2007)/2004—2009, dated 15th October, 2007 (pertaining to prohibition on export of non-basmati rice) as amended :

"2.2 However, rice brought into the port godowns for export till 10-10-2007, as certified by port authorities; shall be allowed to be exported."

2. This issues in Public Interest.

[F. No. 01/91/180/846/AM-08/PC-III]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & ex-officio Addl. Secy.

4319 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.